

सौदासीन अधिकारी :- प्रकाश चन्द्र चौधरी  
आर.ए.ए.स.

प्रकरण संख्या:- 01/2017

अनवान:-

सहदेव पुत्र ख्याली राम जाति विश्नोई सा. मैनावाली तह0 हनुमानगढ ।

प्रार्थी

स्टेट

बनाम

अप्रार्थी

प्रकरण सं0 02/2017

अनवान:-

1 काशीराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई सा. मैनावाली ( मृतक)

1/1 गीता पत्नी काशीराम

1/2 भानीराम 1/3 कलावती 1/4 सोना 1/5 कृष्णा देवी 1/6 बलवंती

1/7 शकीला 1/8 भूलादेवी 1/9 निर्मला 1/10 मायादेवी 1/11 धर्मपाल  
पि. काशीराम

1/12 अन्जू पुत्री विमलादेवी पुत्री काशीराम 1/13 मन्जू पुत्री विमलादेवी  
पुत्री

काशीराम 1/14 रंजनी पुत्री विमलादेवी पुत्री काशीराम 1/5 पवन कुमार  
पुत्र विमलादेवी पुत्री काशीराम

अकवाम विश्नोई सा. मैनावाली तह0 हनुमानगढ ।

प्रार्थीयान

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार हनुमानगढ ।

उपस्थित:-1 श्री राजेश दीपराय अभिभाषक प्रार्थीयान

2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक ।



---:निर्णय:---

दिनांक :-17.01.2018

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा खरीद की गयी भूमि को विधिमान्य घोषित करवाने बाबत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.3.06 को प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए दिनांक 21.7.07 को प्रश्नगत भूमि को राज्यहित में रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील दायर की गयी। जिसका निर्णय दिनांक 20.6.08 को पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.7.07 को अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को अपने निर्णय में दिये गये

अपर जिला कलक्टर

निर्देश के तहत उन्मय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत् आदेश पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया गया।

8

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 20.6.08 के विरुद्ध राज्य पक्ष जरिये तहसीलदार हनुमानगढ अपील मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गयी जिसका निर्णय दिनांक 02.3.17 को पारित कर राज्य पक्ष की अपील खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को निर्णय यथावत रखा गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीयान की तलबी की गयी। प्रार्थीयान जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। दोनों अपीलें एक ही निर्णय से रिमाण्ड हुई हैं इसलिए दोनों प्रकरणों का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी प्री-55 की आराजी है जिसको धारा 13 ए राज. उपनिवेशन अधिनियम के तहत विधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रश्नगत आराजी को राज्यहित में रिज्यूम किया जावे।

अभिभाषक प्रार्थीयान ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयान द्वारा जरिये बैयनामा कय की गयी है जिसको बेचान की स्वीकृति तत्समय उपायुक्त उपनिवेशन सूरतगढ द्वारा जारी की गयी थी। इसके उपरान्त भी प्रार्थीयान ने धारा 13 ए के तहत कम्पाउडिंग फीस भी जमा कराई जा चुकी है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ व मा. राजस्व मण्डल के निर्णयों की विवेचना के अनुसार कय की गयी भूमि को विधिमान्य घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सहदेव ने 5.00 बीघा व प्रार्थी स्व0 काशीराम ने 2.00 बीघा भूमि नाजर पुत्र लाल से चक 4 एमडब्ल्यू एम में जरिये बैयनामा दिनांक 25.9.74 को खरीद की गयी। प्रार्थी पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत भूमि नाजर जाति मुसलमान की प्री-55 की भूमि थी विक्रेता ने 7.00 बीघा भूमि की बेचान की स्वीकृति धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत उपायुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ से पत्रांक 1533 दिनांक 30.4.74 को प्राप्त कर ली थी उसके बाद ही उक्त भूमि का बेचान अलग अलग बैयनामों से विक्रय की गयी है। क्रेतागण द्वारा राज्य सरकार की कम्पाउडिंग फीस भी अलग अलग चालानों से मय ब्याज जमा करवा दी गयी है। तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट पत्रांक 1539 दिनरांक 7.7.2007 के अनुसार विक्रेता नाजर को उपायुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ के आदेश दिनांक 30.7.71 को व तत्पश्चात् उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 16.12.89 को 7.00 बीघा भूमि कुल 9800/- रूपये में धारा 15 एएए के तहत आवंटन है। समस्त भूमि कीमत 9800/- जमा है परन्तु खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है।



Handwritten signature and the text 'जिला कलेक्टर' (District Collector).

उपायुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ के अनुमति पत्र दिनांक 30.4.74 में उल्लेख है कि 1955 से पूर्व आवंटन नियम की शर्त सं० 8(3) के अनुसार पूरी कीमत जमा होने के बाद अलाटी खातेदारी हक पाने का अधिकारी हो जाता है। साथ ही तहसील हनुमानगढ की रिपोर्ट के अनुसार आवंटन के समय निर्धारित कीमत जमा हो चुकी है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा उपायुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ से बेचान की स्वीकृति लेने के बाद ही प्रार्थीयान के पक्ष में बैयनामा करवाया गया है। इसके बाद भी प्रार्थीयान द्वारा प्रश्नगत भूमि की कम्पाउडिंग फीस भी मय ब्याज जमा करा दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थीयान द्वारा खरीद की गयी भूमि को धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत विधिमान्य घोषित किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी सहदेव पुत्र ख्याली द्वारा चक 4 एमडब्ल्युएम प०नं० 143/361 कि०नं० 5,6,14,15,17 कुल 5.00 बीघा व काशीराम पुत्र लालूराम द्वारा चक 4 एमडब्ल्युएम प०नं० 143/361 कि०नं० 4 व 7 कुल 2.00 बीघा भूमि जो नाजर पुत्र लाल जाति मुसलमान सा. लखवाली से दिनांक 25.9.74 को खरीद की गयी है के बेचान को नियमन ( विधिमान्य) घोषित किया जाता है। चूंकि प्रश्नगत आराजी की अभी तक विक्रेता के नाम खातेदारी सनद/खातेदारी हकूक प्राप्त होने का पत्रावली पर कोई रिकार्ड नहीं है। अतः खातेदारी सनद/खातेदारी हकूक प्राप्त होने पर उक्त भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयान के पक्ष में किया जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



*Prakash Chandra Choudhary*  
( प्रकाश चन्द्र चौधरी )  
अपर जिला कलेक्टर  
हनुमानगढ़